

दावा अन्तर्गत धारा 88,53, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा खाता विभाजन एवं विनिमय

डिक्री

दिनांक :- 19/11/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>आर.ए.एस.</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 , 53, 49 के अन्तर्गत वाद व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को खातेदार घोषित किया जाता है व वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन व विनिमय किया जाता है:-

क. वादी रूपराम:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
9 यूटीएस	25/220	4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7	1.012 हैक्.
	29/219	1/1, 1/2, 1/3, 10/1, 10/2 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 2/1/.0725, 2/2/.009, 2/3/.009, 9/.0895, 12/.0895, 19/.0895, 22/.0895	1.7135 हैक्. कुल तादादी 2.7255 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 4 रणजीतराम :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
9 यूटीएस	27/220	6/1, 6/2, 7 ता 9	1.012 हैक्.
	29/219	2/.1305, 2/2/.016, 2/3/.016 9/.1635, 12/.1635, 19/.1635, 22/.1635, 3/3, 3/4, 3/5, 8/2, 13/1, 18/2, 23/1	1.5375 हैक्. कुल तादादी 2.5495 हैक्.

3  
सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा  
राजस्थान





प्रतिवादी सं. 1 मनीराम :-

चक	प.नं.	किला
9 यूटीएस	27/220	10

तादादी  
0.253 हैक.

- चक 32 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 95 के प.नं. 31/221, 31/222, 31/223, 32/223 की कुल 3.453 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 मनीराम को 0.506 हैक., प्रतिवादी सं. 2 किस्तुरीलाल को 2.467 हैक. घरू बंटवारा मे प्राप्त जिसमे से वादी व प्रतिवादी सं. 3, 4 का नाम हक व हिस्सा कलमजन जाता है।
- ग. चक 32 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 175 के प.नं. 31/221, 31/222, 31/223, 32/222 की कुल 3.706 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 मनीराम को 0.506 हैक. घरू बंटवारा मे प्राप्त जिसमे से प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।
- घ. चक 7 यूटीएस के खाता सं. 4 के प.नं. 31/219, 31/220 की कुल 3.365 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 मनीराम को 1.265 हैक. व प्रतिवादी सं. 3 मुखराम को 2.024 हैक. घरू बंटवारा मे प्राप्त जिसमे से वादी व प्रतिवादी सं. 2, 4 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा / हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। रहन यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19/12/28 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3  
सहायक कलक्टर  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा